



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04062026-273126
CG-DL-E-04062026-273126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2586]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 2586]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2026

का.आ. 2679(अ).—केन्द्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्ति को नारियल विकास बोर्ड कोष के सदस्य के रूप में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे समय तक, जब उक्त सदस्य उस प्रवर्ग या हित का, जिससे वह इस प्रकार नियुक्त हुआ है, प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है, जो भी पूर्वतर हो, नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 21(अ), तारीख 12 जनवरी, 1981 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, “धारा 4 क की उपधारा (4) के खंड (ड) के अधीन निर्वाचित” शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“4 क.	श्री सी. सदानन्दन मास्टर, माननीय राज्य सभा सदस्य। नवानीथम – 145/ए देवाकड, पेरीन्धेरी, डाकघर – उरुवछल, कन्नूर, केरल-670702 ई-मेल: sadanandan.master@sansad.nic.in	राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए।	सदस्य”
----------	---	---------------------------------------	--------

[फा. सं.11014/2/2025-एमआईडीएच (सीडीबी)]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या का.आ. 21(अ), तारीख 12 जनवरी, 1981 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या का.आ. 21 (अ), तारीख 12 जनवरी, 1981 द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 5001 (अ), तारीख 20 नवम्बर, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th May, 2026

S.O. 2679(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979), the Central Government hereby appoints the following person as member of the Coconut Development Board, Kochi, for a period of three years, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette or till the said member ceases to represent the category or interest from which he has been so appointed, whichever is earlier, and for said purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), *vide* number S.O. 21 (E), dated the 12th January, 1981, namely:-

In the said notification, under the heading “elected under clause (e) of sub-section (4) of section 4A”, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"4A.	Shri C. Sadanandan Master, Hon'ble Member of Rajya Sabha. Navaneetham- 145/A Devarkad, Perinchery, P.O.- Uruvachal, Kannur, Kerala -670702 Email: sadanandan.master@sansad.nic.in	To represent the Council of States	Member"
------	---	------------------------------------	---------

[F. No.11014/2/2025-MIDH (CDB)]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 21(E), dated the 12th January, 1981 and was last amended *vide* number S.O.5001 (E), dated the 20th November, 2024.